भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3663

उत्तर देने की तारीख 20दिसंबर, 2021

सोमवार, 29अग्रहायण,1943 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रम के मानदंड

3663 श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या मानदंडों और मापदंडों की बहुलता अब भी बरकरार है जिससे कौशल विकास कार्यक्रमों में निष्क्रिय प्रभाव पड़ता है, जिसे सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख)यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग)क्या निवेश, निर्गम, वित्तपोषण/लागत मानक, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और आकलन, निगरानी/ट्रैकिंग मैकेनिज्म एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने समेत कौशल विकास प्रक्रिया और प्रणाली के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो कौशल विकास योजनाओं मे समानता व मानकीकरण लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ)क्या नए प्रशिक्षुओं और मौजूदा कामगारों दोनों ही के लिए वेतन आधारित रोजगार और स्व-रोजगार में हासिल किए गए नियोजन के संदर्भ में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामों को परिभाषित करने की आवश्यकता है; और

(च)यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं और अभी तक क्या सफलता हासिल हुई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) पूर्व में, कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए मानदंडों, दिशानिर्देशों और मानकों की बहुलता मौजूद थी। हालांकि, 2014 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्थापना के पश्चात, इसने नियमों और दिशानिर्देशों के एकसमान व्यवस्था को लागू करने के लिए कौशल ईकोसिस्टम में विभिन्न अभिसरण प्रयासों की शुरुआत की है ताकि देश भर में

प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में कौशल विकास के प्रत्येक क्षेत्र में नियमों की सामान्य व्यवस्था का पालन करने को कार्यान्वित किया जा सके। एमएसडीई ने इस संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं; प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं-

(i) सामान्य लागत मानदंड की शुरूआत।
(ii) राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) तैयार करना।

सामान्य लागत मानदंडों ने विभिन्न कौशल स्कीमों/कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने और इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट मेट्रिक्स में आधार स्तर की स्थिरता लाने में सहायता की है। इन मानदंडों का पालन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

एमएसडीईने व्यावसायिक शिक्षा ईकोसिस्टम के कामकाज को विनियमित करने और बाजार संचालित समाधानों को सक्षम करने के लिए न्यूनतम, समान मानक बनाकर विश्वसनीय शिक्षार्थी-केंद्रित कौशल ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की है।एनएसडीए (एनसीवीईटीके पूर्ववर्ती) को 2013 में बनाए गए राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के प्रबंधन का अधिकार दिया गया था, जो सभी कौशल संबंधी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के लिए सामान्य मानकीकरण को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय रूप से लागू किए जा रहे सभी प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रमों ने इस प्रणाली को अपनाया है। वर्तमान में, एनएसक्यूएफ ने ज्ञान, कौशल और अभिरूचि के स्तर के अनुसार 4600 से अधिक कौशल अर्हताओं का आयोजन किया है।

(ख) सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिएएमएसडीई ने सामान्य लागत मानदंड तैयार किए हैं। सामान्य लागत मानदंड देश में 'कौशल विकास' के कार्यकलापों को परिभाषित करते हैं, कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं और कौशल संबंधी कार्यक्रमों और उनके परिणामों के लिए व्यापक इनपुट मानकों के साथ राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ उनका संरेखण करते हैं।

(ग) कुशल भारत एक सतत गतिशील कार्यक्रम है जो कौशल और अवसरों की बदलती जरूरतों को अपनाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में सभी संबंधित हितधारकों के प्रयासों के समन्वय के उद्देश्य से, एमएसडीई की नवंबर, 2014 में स्थापना की गई थी। केंद्रीय मंत्रालय के आविर्भाव के साथ ही, कौशल ईकोसिस्टम को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के प्रयासों में तेजी आ गई क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया। अधिक से अधिक क्षेत्रों को कौशल ईकोसिस्टम में उपलब्ध सामान्य प्रणाली के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि सरकारी कौशल कार्यक्रमों के परिणाम पूरे कौशल ईकोसिस्टम में एकसमान हों।

(घ) एमएसडीई ने संपूर्ण कौशल विकास प्रक्रिया को युक्तिसंगत और सुव्यवस्थित करने के लिए संस्थागत और संरचनात्मक स्तरों पर विभिन्न प्रयास किए हैं। कुछ प्रमुख प्रयास जैसे सामान्य लागत मानदंड, एनएसक्यूएफ और एनसीवीईटी को ऊपर भाग (क) में शामिल किया गया है। अन्य प्रमुख पहलों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं -

(i) **स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से इनपुट गुणवत्ता का मानकीकरण** - कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र का प्रत्यायन (स्मार्ट) एनएसडीसी द्वारा विकसित मान्यता और संबद्धता मंच है, जो मान्यता और संबद्धता की प्रक्रिया में एकरूपता लाने और प्रशिक्षण केंद्रों में गुणवत्ता आश्वासन में सुधार लाता है।

(ii) **कौशल भारत पोर्टल पर डेटा अभिसरण** - कौशल भारत पोर्टल को एक मंच पर केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निगमों सहित देश में सभी कौशल कार्यक्रमों से संबंधित डेटा एकरूपता सुनिश्चित करने और डेटा अभिसरण करने के लिए अस्तित्व में लाया गया है। इस प्रक्रिया में प्रगति जारी है। एक बार एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात, कुशल भारत पोर्टल, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सटीक अनुमान और योजना प्रदान करेगा, दोहराव और व्यर्थ व्यय में कमी आएगी और संपूर्ण कौशल ईकोसिस्टम को बेहतर दृश्यता प्रदान करेगा।

(iii) **प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल - तक्षशिला, कौशल ईकोसिस्टम के प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं के प्रबंधन के लिए एमएसडीई द्वारा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जो उत्कृष्ट** प्रशिक्षक और आकलनकर्ता तैयार करने से संबंधित जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य कर रहा है।

(ङ) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वांछित परिणामों के सेट में पहले से ही वेतन और स्व-रोजगार में प्राप्त नियोजन (नए शिक्षुओं और मौजूदा श्रमिकों के लिए जो पूर्व शिक्षण मान्यता प्राप्त कर चुके हैं) दोनों में से एक परिणाम के रूप में शामिल हैं।

(च) एमएसडीई का प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), वेतन श्रमिकों और स्वरोजगार श्रमिकों दोनों के लिए 3 माह तक के डेटा को एकत्रित करता है। अन्य एमएसडीई स्कीमें कुशल कर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं करती हैं। प्रत्यक्ष नियोजन के अलावा कौशल प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप अनेक छात्र स्व-रोजगार हो जाते हैं या उद्यमशीलता उद्यम शुरू कर देते हैं। इनके अलावा, एनएसडीसी शुल्क-आधारित पाठ्यक्रम भी चलाती है, लेकिन उन्हें यहां शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे सरकार के व्यय से संचालित नहीं होते हैं। इसके अलावा, नियोजन केवल वांछित परिणामों में से एक हो सकती है और विशाल कौशल ईकोसिस्टम में, नियोजन हमेशा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बाजार की स्थितियों, सामान्य आर्थिक परिदृश्य (विदेशी व्यापार सहित) और अधिकतर कुशल श्रम की व्युत्पन्न मांग पर निर्भर करता है।

****